न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 177/2016

श्री माधू पुत्र श्री रामदीन जाति जाट निवासी ग्राम दरडून्ड तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 09.02.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्री माधू पुत्र श्री रामदीन जाति जाट निवासी ग्राम दरडून्ड ने ग्राम दरडून्ड के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 53/3 किस्म गैर मुमकिन छापर कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा में से 16 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पड़त कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 119/2016 पंजीबद्व किया जाकर वाद विधिवत् सुनवाई के दिनांक 13.10.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.10.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा प्रारंभिक एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर करवा कर अतिक्रमण स्वीकार करना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अंकित करते हुए प्रथम पेशी पर ही सरसरी तौर पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ने की कोई सहमति प्रदान नहीं की किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने साईक्लोस्टाइल आदेश में खानापूर्ति कर अप्रार्थी का कब्जा छोड़ने की सहमति अंकित करते हुए अपने आदेश में खानापूर्ति कर आदेश पारित कर दिया जो आदेश की परिभाषा में नहीं आने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 53/10 अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर एक ही खेत है जिस पर अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो खसरा गिरदावरी संवत् 2049 से 2061, 2065 से 2067, 2069 एवं 2071–2072 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक होने के साथ ही भूमिहीन काश्तकार है तथा विवादित भूमि पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर भूमि नियमन का अधिकारी है तथा राज्य सरकार की नीति भी भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन करने की रही है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे तथा अपील तहसीलदार रूपनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा यदि प्रकरण नियमन योग्य हो तो विवादित भूमि के नियमन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट बहैसियत अतिक्रमी विवादित भूमि पर काबिज है। जहां तक पुराने कब्जे काश्त के आधार पर भूमि के नियमन का प्रश्न है, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभियान आयोजित किये जाते रहे है। अपीलान्ट को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था अथवा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कार्यवाही करनी चाहिये। तहसीलदार को भूमि नियमन का अधिकार नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दरडूण्ड की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पिछले 50 वर्षों से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। हम पैरोकार सरकार के इन कथनों से सहमत है कि अपीलान्ट के कथनानुसार उनका विवादित भूमि पर पिछले लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वे विवादित भूमि के नियमन के अधिकारी है तो समय–समय पर आयोजित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

होने वाले राजस्व शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था अथवा सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। अपील के माध्यम से उन्हें कोई अनुतोष नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner